शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009.
(Right to Education Act - 2009)

(i) **प्रस्तावना -**

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में यह कहा गया है। कि " राज्य संविधान के लागू होने के 10 वर्षों के अन्दर 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था करेगा। सरकार द्वारा आगे चलकर 2009 में बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम "2009" पास किया गया।

इस अधिनियम को ही "शिक्षा का अधिकार" 2009 कहते है। सरकार ने अप्रैल 2010 मे इसे कानून के रूप में लागू किया।

(ii) **क्या है यह अधिनियम —**

(A) इस अधिनियम के द्वारा 6 से 14 साल की उम्र के सभी बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है।

(B) संविधान के 86 वें संसोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को प्रभावित बनाया गया है।

(C) सरकारी स्कूल के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराएंगे और स्कूलों का प्रबंधन स्कूल प्रबंध

Scanned with CamScanner

RTE के प्रमुख तथ्य

(i) स्कूलों का प्रबन्धन प्रबन्ध समितियों (एस. एम. सी.) द्वारा किया गया।

(ii) गुणवत्ता समेत प्रारम्भिक शिक्षा के सभी पहलुओं पर निगरानी के लिए ~~#~~ राष्ट्रीय आयोग बनाया जायेगा।

Scanned with CamScanner

शिक्षा के अधिकार अधिनियम के उद्देश्य :
(Objectives of RTE Act)

RTE Act के निम्न उद्देश्य हैं —

(i) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा।

(ii) प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ (सार्वभौमिक) बनाना।

(iii) देश में शिक्षा के स्तर को सुधारना।

(iv) ग्रामीण क्षेत्रों में (तक) शिक्षा का प्रसार करना।

(v) उन क्षेत्रों में विद्यालय स्थापित करना जहां अभी तक शिक्षा नहीं पहुंची।

(vi) शिक्षा के प्रति बालकों की जिज्ञासा (रुचि) का विकास करना।

(vii) बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना।

(viii) देश में 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बच्चों को बुनियादी शिक्षा देना।

शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रमुख प्रावधान :—

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रमुख प्रावधान (Provisions) निम्न लिखित हैं।

(1) निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा :— अधिनियम का मुख्य तत्व है कि 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा मिलेगी।

(2) वंचित बालकों की पूर्ण शिक्षा — 6 वर्ष में प्रवेश न लेने वाले बच्चों को भी 14 वर्ष के उपरान्त निःशुल्क शिक्षा प्राप्त होगी।

(3) केन्द्र तथा राज्य संयुक्त रूप से अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे।

(4) कोई भी सरकारी मान्यताप्राप्त विद्यालय अभिभावकों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लेगा।

(5) अनिवार्य प्रवेश के अन्तर्गत किसी प्रमाणपत्र के अभाव में बच्चे का प्रवेश रोका नहीं जायेगा।

Scanned with CamScanner

(6) किसी भी बालक को शारीरिक या मानसिक दण्ड नहीं दिया जायेगा।

(7) किसी भी बच्चे को कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जायेगा।

(8) बिना मान्यता के विद्यालय का संचालन नहीं किया जायेगा।

(9) कोई भी अध्यापक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ायेगा।

(10) मूल्यांकन की प्रक्रिया में सुधार किया जाये, व्यापक बनाया जाये।

Scanned with CamScanner